संख्या– 179 /VI/2005–3(14)2004टी0सी0

प्रेषक,

ए0के घोष,
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

निदेशक पर्यटन,
पटेलनगर, देहरादून ।

पर्यटन अनुभागः देहरादून दिनांक 24 मार्च, 2005

विषयः–ट्राईबल सब प्लान के अन्तर्गत पर्यटन विभाग की योजनाओं हेतु धनराशि स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–565/2–6–449/2004–05 दिनांक 17 फरवरी 2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत पर्यटन विभाग की निम्नलिखित योजनाओं हेतु रू0 68.66 लाख के आगणनों के विरूद्व टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरांत संस्तुत रू0 57.74 लाख(रूपये सत्तावन लाख चौहत्तर हजार मात्र) की लागत के आगणनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सहित चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में इतनी ही धनराशि के व्यय करने की भी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

(धनराशि रू0 लाख में)

क0सं0	योजना का नाम	योजना की मूल लागत	टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2004–05 में जारी की जा रही धनराशि	निर्माण इकाई का नाम
1	नोंग चौडारी मुहल्ले से औली फुट ट्रेक के सम्पर्क मार्ग का निर्माण	15.05	12.20	12.20	नगर पालिका परिषद जोशीमठ, चमोली।
2	नगर पालिका चुंगी चौकी से सिंहधार होते हुए मारवाड़ी तक पुराने बद्रीनाथ पैदल मार्ग का निर्माण	13.20	11.56	11.56	तदैव
3	मारवाडी से श्री बद्रीनाथ मोटर मार्ग से श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर तक सम्पर्क सड़क निर्माण	13.87	11.58	11.58	तदैव
4	नृसिंह मन्दिर मोटर मार्ग से केन्द्रीय विद्यालय होतु हुये चुँगी तक हल्के वाहन हेतु मार्ग का निर्माण	26.54	22.40	22.40	तदैव
	योगः–	68.66	57.74	57.74	

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करालें ।

4– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय ।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

6– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

7– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एंव लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

8– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एंव भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें ।

9– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जए ।

10–निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए ।

11–स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–03–2005 तक पूर्ण उपयोग कर वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। अधूरी योजनाओं पर पूर्व स्वीकृत धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त उक्त विवरण उपलब्ध कराये जाने के बाद
ही अवमुक्त की जायेगी। यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को संदर्भित कर दी जायेगी।

12–उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि कार्य/योजना पूर्ण होने के उपरांत सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा कार्यस्थल पर इस आशय का एक साईनबोर्ड स्थापित किया जायेगा कि उक्त कार्य पर्यटन विभाग के सौजन्य से किया गया है। सम्बन्धित जिला पर्यटन विकास अधिकारी द्वारा कार्य का भौतिक निरीक्षण कर योजना पूर्ण होने की सूचना शासन को यथासमय उपलब्ध करा दिया जायेगा।

13–कार्य इसी लागत में पूर्ण किये जाय और उक्त लागत कोई भी पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

14–आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए ।

15–निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए ।

16–कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

17–निर्माण कार्य प्रारम्भ करने कके पूर्व ही निर्माण इकाई द्वारा कार्यो को पूर्ण कराने का एक समयवद्ध कार्यक्रम(पर्ट चार्ट) प्रस्तुत किया जायगा तथा उसी के अनुरूप समयवद्ध आधार पर निर्माण कार्य पूर्ण किये जायेंगे।

18–जिस नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत द्वारा कार्य कराया जा रहा है उससे लिखित वचनवद्धता प्राप्त कर जी जायेगी कि उक्त कार्य/कार्य के अनुरक्षण का दायित्व भी उसी का होगा।स्ट्रीट लाइट का विद्युत देयता का भुगतान नगर पंचायत/परिषद द्वारा किया जायेगा।

19–उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–796–ट्राइबल सब प्लान–02–अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान–0201–पर्यटन विकास की नई परियोजनायें–24–वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

20–उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–539/वित्त अनु0–3/2005, दिनांक, 19 मार्च 2005 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ए0के0 घोष)
अपर सचिव

संख्या– VI/2004–3(14)2004 टी0सी0तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, माजरा, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– जिलाधिकारी, चमोली ।
4– जिला पर्यटन विकास अधिकारी, चमोली।
5– वित्त अनुभाग–3,
6– श्री एल0एम0पन्त, अपर सचिव वित्त ।
7– अपर सचिव, नियोजन।
8– निजी सचिव मा0 मुख्यमन्त्री जी, उत्तरांचल शासन।
9– निजी सचिव मा0 पर्यटन मन्त्री जी, उत्तरांचल शासन ।
10–वरिष्ठ शोध अधिकारी,समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तरांचल,सचिवालय।
11–निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल।
12–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

23/3/05

(ए0के0 घोष)
अपर सचिव